

107 दण्ड स

समाप्त

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

भारत सरकार
कनाम

M-23/2018

आदेश पत्रक

राजीव गांधी

6/3/18

अभिलेख संख्या :- एम. 23 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अपराथमिकी संख्या 7/18

62
6/3/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- दोनों-सीधर
2018 के अवसर पर विधि-व्यवस्था हेतु।

जिससे संभ्रमना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर दण्ड प्र. स. 0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक - 14/3/18 को उपस्थापित करें।

6/3/2018
अनुमंडल दण्डाधिकारी
खूँटी

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक
16/2/19 को रखा

16/2/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक
25/2/19 को रखा

25/2/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक
11/3/19 को रखा

11/03/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक

25/03/19 को रखा

25/03/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक

15/04/19 को रखा

15/04/19

द्वितीय पक्ष को पूना शिबिर उपस्थित
शुद्धि 2018 वरि डोली लोहार शांतिशिव संघ
अनुपस्थित है। थका जारी उता इत संवत्से वीर
आदि उपस्थित नहीं है। कतः वाद की कार्यवाही समाप्त
की जाती है।


15-04-19